


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म.स्वा.कार्य./ (1044 पार्ट फाईल)/2017/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 871 दिनांक 21.07.2014 के (क्रम संख्या 01 पर अंकित) द्वारा श्रीमती सुशीला कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, नंगली दीपसिंह, खण्ड उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 23.12.2015 से 07.10.2016 तक 290 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

  
(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म.स्वा.कार्य./ (1044 पार्ट फाईल)/2017/17/15

दिनांक:- 29/11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी (झुंझुनू)।
3. प्रधानाचार्य, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, चिड़ावा (झुंझुनू)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर